

2019
00352

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-I

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडाशयसिंह

कानाशम पुत्र रामकरण जाति-जट बनाम तहसीलदार रोडाशयसिंह
स/प दाबड़ूम्मा
किरम मुकदमा बन्त/दर./सुअसय/अधीन/नं. 136 L.R.Met शब्द 591
2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तामील में जारी हुइ
26 ¹² / ₁₉	<p>प्राची काए प्रार्थना पत्र तहसीलदार रोडाशयसिंह के समक्ष प्रेषण के निवेदन दिजा कि ग्राम खिमुरिणा की जमाबंदी सम्बन्ध 2072-75 खाता नं 87, 88 एवं ग्राम रामसिंहपुरा की जमाबंदी सम्बन्ध 2075-78 खाता नं 133 में मेरा नाम काना पुत्र रामकरण व कन्हैपालाल पुत्र रामकरण को स/प दाबड़ूम्मा करखा ली जबकि मेरा एही नाम काना पुत्र रामकरण जट स/प दाबड़ूम्मा की अन्त रिकार्ड में भी काना पुत्र रामकरण ही दर्ज अतः रिकार्ड राजस्व में काना पुत्र रामकरण व कन्हैपालाल पुत्र रामकरण के नाम काना पुत्र रामकरण दर्ज प्रमाण आने के लिए जट तहसीलदार काए रिपोर्ट प्रचारी ली गयी तथा प्रकरण 136 L.R.Met के तहत तैजाट नं मय अजिअंषा प्रेषण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रकरण में प्राची काना पुत्र व उसके भाईप्रहलाद पुत्र रामकरण के नामात कलमबद्ध किये गये।</p> <p>उपपक्ष को सुनागया। पत्रावली का अवलोकन किया बहस जट मनन किया। उक्त वादग्रस्त आदिनात ग्राम खिमुरिणा व रामसिंहपुरा में स्थित होता जाहि ए ग्राम खिमुरिणा की उक्त दोनो खतोनि में काना पुत्र रामकरण व रामसिंहपुरा की उपोन्त खतोनी में कन्हैपालाल पुत्र रामकरण दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्राची के कथनानुसार, रिपोर्ट प्रचारी एवं अजिअंषा तहसीलदार, जरीनार राशन कार्ड, आजाए कार्ड एवं नामात से जाहि है कि काना व कन्हैपालाल ही नाम नहीं होकर एही नाम काना पुत्र ही जो कि हुलती जोरपुर् प्रकरण 136 L.R.Met की परिधि में आना जाना जाता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्राची मुताबिक रिपोर्ट प्रचारी एवं अजिअंषा तहसीलदार के अद्वार स्वीकार किया जाकर आदिनात अजिअंषा खतोनी नं 87, 88 जमाबंदी सम्बन्ध 2072-75 वाके ग्राम खिमुरिणा तहसील रोडाशयसिंह में दर्ज खातेदार काना पुत्र रामकरण एवं खतोनी नं 133 जमाबंदी सम्बन्ध 2075-78 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील रोडाशयसिंह में दर्ज खातेदार</p>	<p>कानाशम प्रहलाद</p>

कन्है मालाल पुत्र रामकरण के बजाय कानाराम पुत्र
 रामकरण हकी रिकार्ड किने जाने की स्वीकृति प्रदान
 की जाती है। शेष शरी अंकन बरखूर रहेगे लिखुवा
 रिकार्ड रामख में भगल केतु पालनार्थ तशीलका
 रोडाएगसिंह को आदेश जारी हो। परामर्शी के सल
 भूता होना कर नम्बर से आहो। दुकम काय दि०
 २६/१२/१९ को खुले न्यायालय में पुराजा गया।

५६

(डॉ० सुरज सिंह नेगी)

उपखण्ड अधिकांरी

रोडाएगसिंह

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]